"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 13, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रकाश सोमानी पिता श्री सुशील कुमार सोमानी, उम्र 19 वर्ष, निवासी-1/434, नर्मदा नगर, बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों व अन्य प्रमाण पत्रों में मेरा नाम प्रकाश सोमानी पिता श्री सुशील कुमार सोमानी दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अनीश सोमानी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अनीश सोमानी पिता श्री सुशील कुमार सोमानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

प्रकाश सोमानी (Prakash Somani)
पिता श्री सुशील कुमार सोमानी
निवासी-1/434, नर्मदानगर, बिलासपुर
तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)
पिन 495001

नया नाम

अनीश सोमानी (Anish Somani)
पिता श्री सुशील कुमार सोमानी
निवासी-1/434, नर्मदानगर, बिलासपुर
तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)
पिन 495001

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, खिलेश्वर कुमार आत्मज श्री लखन लाल जंघेल, उम्र 24 वर्ष, निवासी- शिक्षक नगर, कोहका भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक रिकार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम खिलेश्वर कुमार दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सोनू कुमार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सोनू कुमार आत्मज श्री लखन लाल जंघेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

खिलेश्वर कुमार
आत्मज श्री लखन लाल जंघेल
निवासी- शिक्षक नगर, कोहका भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सोनू कुमार
आत्मज श्री लखन लाल जंघेल
निवासी- शिक्षक नगर, कोहका भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नीरज पाल वर्मा पिता श्री सतपाल वर्मा, उम्र 48 वर्ष, निवासी-दुकान नं. 55, सेक्टर 5, मार्केट भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे स्कूल प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र में मेरा नाम नीरज कुमार वर्मा आत्मज श्री सतपाल वर्मा अंकित है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम नीरज पाल वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे नीरज पाल वर्मा आत्मज श्री सतपाल वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नीरज कुमार वर्मा
आत्मज श्री सतपाल वर्मा
निवासी- दुकान नं. 55, सेक्टर 5,
मार्केट भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

नीरज पाल वर्मा
आत्मज श्री सतपाल वर्मा
निवासी- दुकान नं. 55, सेक्टर 5,
मार्केट भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आकांक्षा तिवारी पत्नि श्री अनिरूद्ध तिवारी, आयु 24 वर्ष, निवासी-मकान नं. 4/ए, सड़क 29, सेक्टर 9, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि शादी के पूर्व मेरा नाम आकांक्षा पाण्डेय पिता श्री एम. के. पाण्डेय था. मेरी शादी दिनांक 1-12-2014 को अनिरूद्ध तिवारी आत्मज यू. एस. तिवारी के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात मैं अपने नाम/उपनाम को परिवर्तित कर नया नाम आकांक्षा तिवारी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे आकांक्षा तिवारी पत्नि श्री अनिरूद्ध तिवारी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

आकांक्षा पाण्डेय
पिता श्री एम. के. पाण्डेय
निवासी-10/243, वार्ड नं. 10,
डॉ. रहलकर क्लिनिक के पास
जरहाभांटा, बिलासपुर
तहसील जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

आकांक्षा तिवारी
पत्नि श्री अनिरूद्ध तिवारी
निवासी-मकान नं. 4/ए,
सड़क 29, सेक्टर 9, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अभिनय कुमार सिंह (Abhinay Kumar Singh) आत्मज श्री अनिल कुमार सिंह, उम्र 24 वर्ष, निवासी-एल. आई. जी.- 1/1847,80 एल. आई. जी., कुरूद तालाब के पास, हाऊसिंग बोर्ड कुरूद भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे कक्षा दसवीं के अंकसूची में मेरा नाम भूलवश अभिनय सिंह (Abhinay Singh) एवं कक्षा 12वीं के अंकसूची में अभिनया कुमार सिंह (Abhinaya Kumar Singh) दर्ज हो गया है जो त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अभिनय कुमार सिंह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अभिनय कुमार सिंह आत्मज श्री अनिल कुमार सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

अभिनय सिंह (Abhinay Singh)
अभिनया कुमार सिंह (Abhinaya Kumar Singh)
आत्मज श्री अनिल कुमार सिंह
निवासी-एल. आई. जी.- 1/1847,80 एल. आई. जी.,
कुरूद तालाब के पास, हाऊसिंग बोर्ड
कुरूद भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

अभिनय कुमार सिंह
(Abhinay Kumar Singh)
आत्मज श्री अनिल कुमार सिंह
निवासी-एल. आई. जी.- 1/1847,80 एल. आई. जी.,
कुरूद तालाब के पास, हाऊसिंग बोर्ड
कुरूद भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक लोक न्यास अनुविभाग अम्बिकापुर, सरगुजा (छ. ग.)

अम्बिकापुर , दिनांक 30 अक्टूबर 2015

प्ररुप-चार
[नियम 5 (1) देखिए]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 का उप नियम (1) देखिए.]

क्रमांक/3176/वाचक-1/2015.—यह कि श्री संतोष सिंह आ. स्व. बी. डी. सिंह, सचिव श्री महावीर सेवा समिति, डी. सी. रोड, अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ. ग.) ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30-11-2015 को विचार के लिए लिया जायेगा.

अतः मैं आर. एन. सिंह, अनुविभाग अम्बिकापुर के लोक न्यासों के पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 30-11-2015 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी मत या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे न्यायालय में समक्ष में उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री महावीर सेवा समिति सार्वजनिक न्यास, श्री हनुमान मन्दिर परिसर, डी. सी. रोड अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ. ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	निरंक
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

आर. एन. सिंह,
पंजीयक .

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ. ग.)

रायपुर , दिनांक 13 नवम्बर 2015

प्र. क्र./ /ब-113 (1)/वर्ष 2015-16

क्रमांक/ 412 /अ. वि. अ./ट्रस्ट/2015.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री आनंद शर्मा निवासी रिंग रोड नं. 01 रायपुर तहसील व जिला रायपुर द्वारा " विजदम इन्टरनेशनल फाउण्डेशन ट्रस्ट" पता डिडवानिया रिजेन्सी रिंग रोड़ नं. 01 शुभ होण्डा के पास रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	" विजदम इन्टरनेशनल फाउण्डेशन ट्रस्ट " पता डिडवानिया रिजेन्सी रिंग रोड़ नं. 01 शुभ होण्डा के पास रायपुर तहसील व जिला रायपुर
(2)	चल संपत्ति	:	5,000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 08-12-2015 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 13-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. अग्रवाल
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा) .

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लोक न्यास पंजीयन अधिकारी खैरागढ़ जिला राजनांदगांव (छ. ग.)

खैरागढ़ , दिनांक 15 अक्टूबर 2015

क्रमांक/ 102 /प्र-1/अ. वि. अ./2015.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक अध्यक्ष मॉ वैष्णों देवी ट्रस्ट समिति बकरन पाठ छुईखदान जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) द्वारा मंदिर एवं उससे आश्रित संपत्ति के उचित संचालन एवं सार्वजनिक ट्रस्ट का निर्माण हेतु लोक न्यास के रूप में ट्रस्ट को पंजीयन करने बाबत् आवेदन पेश किया है.

अतएव मॉ वैष्णो देवी ट्रस्ट समिति बकरन पाठ छुईखदान को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने में किसी को भी किसी प्रकार की आपत्ति हो तो अपना आक्षेप ईश्तहार प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद में प्राप्त आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 15-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी.

पी. एस. ध्रुव,
अनुविभागीय अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.